

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :-
 २/१/२०१७

पर्याप्तिक्री

उनवान

आनीन (वां) झाडे

बनाम

श्री लक्ष्मण व अन्य

वादी/वादी

प्रतिवादी/प्रतिवादी

दावा बाबत :- हुक्मसुत्रादिकामी


प्रकरण संख्या २६/१६

निर्णय दिनांक..... ०७-६-२०१७


वादी की ओर से श्री लक्ष्मण की व प्रतिवादी की ओर से श्री लक्ष्मण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ०७-६-१७ को श्री लक्ष्मण (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- आ.सं.०००२७५ वाके आ.सं. शाहपुर (लक्ष्मण) मुण्डावर जिला अदालत (राज.) के वाद प्रतिवादी लक्ष्मण व अन्य के हुक्मसुत्रादिकामी के लक्ष्मण-लक्ष्मण के लिए पाबन्द किया जाता है कि व वादी/वादी की आराजी के प्रवेष्टा नही को ना वादी/वादी के कर्तव्य का प्रत न किया भी प्रसारण मजहूमत चंदा नही करे / पाबन्द नही वाद प्रीषक पर्याप्तिक्री का इतिहास करे रहेगा

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ०७-६-१७ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 उपखण्ड अधिकारी
 मुण्डावर (अलवर)
 पदेन सहायक कलक्टर
 मुण्डावर (अलवर)

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | -nic- | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | -nic- |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3. रूपये पर प्लीडर की फीस | |
| 4. रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | 5. कगिशनर की फीस | |
| 6. कगिशनर की फीस | | 6. आदेशिका की तामील | |
| 7. आदेशिका की तामील | | | |
| योग | | योग | |


 उपखण्ड अधिकारी
 मुण्डावर (अलवर)